

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

①

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला - अलवर


बनाम हरजीत सिंह कर्मा

नं. 2/188/14 सन्

किरम मुकदमा

श्री 0 एस्ट RFA 212

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
17/10/14	<p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी को आगामी तिथि 12.12.2014 तक जर्गे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 27 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर पर अप्रार्थी मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्गे रजि0 ए0डी0 एवं साधारण तलबी से तलब कर दिनांक 12.12.2014 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  J. D. O. (Rm 0) (अलवर) </p>	
12/12/14	<p>वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी <u>अरवि</u> पेश किया नकल दिलाई गई। यास <u>तलबी</u> पत्रावली दिनांक <u>19.3.15</u> को पेश हो। <u>अरवि</u></p> <p style="text-align: right;">रीडर</p>	
19/3/15	<p>वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी <u>अरवि</u> पेश किया नकल दिलाई गई। यास <u>तलबी</u> पत्रावली दिनांक <u>24.7.15</u> को पेश हो। <u>अरवि</u></p> <p style="text-align: right;">रीडर</p>	
	<p>वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी <u>अरवि</u> पेश किया नकल दिलाई गई। यास <u>तलबी</u> पत्रावली दिनांक <u>24.7.15</u> को पेश हो। <u>अरवि</u></p> <p style="text-align: right;">रीडर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व ता
अहमद
जा (हुआ

06.2.24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घविधि से तब्दीमें
तब्दी हेतु पुन तलबना पेश करने के आशय से
अनेक भवसर प्रदान किये गये हैं। तथा अंतिम भवसर
के रूप में अनेक भवसर प्रदान किये गये हैं। परन्तु पुनः
फ्रेश तलबना पेश नहीं किया गया है। अतः हाशिया पत्र
- 212 R/M निम्नलिखित प्रक्रिया संदिता के आदेश 9 नियमों
में स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नम्बर हेक्टर
नम्बर से कम है बाकि तलबना तब्दील दाखिल करार हो।

उपखण्ड अधिकारी

गोविन्द (अलवर) राज०